

भारत सरकार  
शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय  
भूमि और विकास कार्यालय  
निर्माण भवन: नई दिल्ली

सं. एलएंडडीओ/24(272)/2002-सीडीएन

दिनांक: 23.4.2002

**परिपत्र**

विषय: प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन/रूपांतरण मामलों की विचाराधीनता की अवधि को कम करने के लिए विशेष अभियान के अनुदेश के संबंध में।

प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन/रूपांतरण के मामलों में कई ऐसे मामले हैं जिन्हें कम दस्तावेजों/भुगतान के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। यद्यपि प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन/रूपांतरण के पट्टाधारक आवेदकों से पहले ही कम दस्तावेज/भुगतान को जमा करने के लिए कहा गया है लेकिन भूमि और विकास कार्यालय में यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिससे प्रत्येक मामले में संबंधित मुद्दे को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है।

2. भूमि और विकास कार्यालय में इसकी पुनः समीक्षा की गई है। यह निर्णय किया गया है कि प्रतिस्थापन/उत्परिवर्तन/रूपांतरण से संबंधित कम दस्तावेजों/भुगतान के मामलों में सभी डीवाई एलएंडडीओ/शाखा अधिकारी संबंधित पट्टाधारक/आवेदक को पावती लगे पंजीकृत डाक द्वारा यह सूचित करने के लिए तुरंत कदम उठाएंगे कि कम दस्तावेज/भुगतान जिसकी मांग प्रत्येक मामले में पहले ही की जा चुकी है, संबंधित पत्र के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें ताकि मामले का शीघ्र निपटान किया जा सके अन्यथा मामले को बंद समझा जाएगा।

3. इस प्रयोजन के लिए सभी उप एलएंडडीओ/शाखा अधिकारियों द्वारा तुरंत विशेष अभियान चलाया जाए और प्रत्येक मामले में इसकी सूचना सीडीएन को दी जाए।



(वी.एन. त्रिपाठी)

उप भूमि और विकास अधिकारी

प्रति

सभी उप भूमि एवं विकास कार्यालय/शाखा अधिकारी